

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एनटीपीसी रिहंद द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में प्राप्त 744 हे 0 वन भूमि में से ग्राम -मिटीहिनी, खम्हरिया एवं झीलों की 188.241 हे0 धारा -20 में विज्ञापित वन भूमि जो की एनटीपीसी, रिहंद द्वारा वापस वन विभाग को किया जाना है जिसकी जांच मेरे द्वारा दिनांक ...16.01.02... को की गयी। जांचोपरांत 188.241 हे0 धारा-20 में विज्ञापित वन भूमि पर मौके पर पिलरिंग व नंबरिंग कार्य किया गया है जो जी0 ओ0 रेफरेंस मानचित्र में प्रदर्शित है तथा पिलर के अंदर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण मौक पर नहीं पाया गया। उक्त 188.241 हे0 धारा -20 में विज्ञापित वन भूमि वनीकरण के लिए भी उपयुक्त है।


वन अधिकारी
जरहों रेन्ज
रेनूकूट वन प्रभाग
मयूरपुर


(कुंज मोहन वर्मा)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
मयूरपुर, रेनूकूट वन प्रभाग